FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
नारायणदान पुत्र उमरदान जाति चारण निवासी चारणों का बास, इन्द्रपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 33 **सन्** 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.08.2021	वकील प्रार्थी ने धारा 451, 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना डीडवाना द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 125/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, भा0दं0सं0 व धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में प्रार्थी की जब्त शुदा वाहन टाटा ट्रक नं. आर.जे.37 जीए 3453 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को मय उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली एवं प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 26.09.2021 को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करावें। पत्रावली दिनांक 26.09.2021 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
26.8.21	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 26.8.21 को श्रीमान P.O साहब राजकीय भ्रमण पर अजमेर विराजते है। पत्रावली दिनांक 2-9-21 को पेश हो।	
2-9-21	वकील प्रार्थी श्री मोo ~~सिलावट~~ शाहिद सिलावट व APP उपo। वकील मोo शाहिद ने बहस हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6-9-21 को पेश हो।	Sha
6.9.21	प्रार्थी की ओर से वकील मो0 शाहिद सिलावट उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री [illegible] कुमार उपस्थित। अनुसंधान अधिकारी श्री अयूब खां उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 451, 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि जब्त शुदा वाहन टाटा ट्रक नम्बर आर.जे.37जीए3453 का प्रार्थी नारायणदान पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन का अन्य कोई	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:36:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
नारायणदान V/s सरकार प्रार्थना पत्र संख्या 33/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

6.9.21 (लगातार)

दावेदार नहीं है। उक्त वाहन को पुलिस थाना डीडवाना द्वारा उनके प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। उक्त जब्त शुदा वाहन की न्यायालय हाजा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना परिसर में खुले में पड़ा–पड़ा खराब होने की पूरी संभावना है, जिससे प्रार्थी का आर्थिक क्षति होगी। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त वाहन के जब–जब भी तलब किया जावेगा तब–तब प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे पर न्यायालय हाजा में पेश कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त को मानने हेतु तैयार है, इसलिए उक्त जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी व अनुसंधान अधिकारी के कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आर.जे.37जीए3453 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक–3689 दिनांक 06.09.2021 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आर.जे.37जीए3453 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन स्वामी को वाहन सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का इन्श्योरेन्स 21.08.2021 तक ही वैध है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी नारायणदान पुत्र श्री उमरदान जाति चारण निवासी चारणों का बास, इन्द्रपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 को उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष आगामी अवधि का वैध इन्श्योरेन्स सर्टिफिकेट एवं 12,00,000/–रूपये(अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में जब्तशुदा वाहन ट्रक नम्बर आर.जे.37जीए3453 को प्रार्थी को नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को [illegible] सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उप[illegible] अ[illegible] डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] केस डायरी अ[illegible] अधिकारी को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवा[illegible] हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:36:00 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)